कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर

(पताः राजस्थान लोक सेवा आयोग के सामने, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, कांकरदा भूणाभाय, जयपुर रोड़, अजमेर)
E-mail: AC.AJMER.DEV@RAJASTHAN.GOV.IN 0145–2970444

क्रमांक :– लेखा / निविदा / 2018–19 / 1450 दिनांक :– 1.8.2018

विषय :– विभागीय निविदा / बोली आमंत्रण सूचना 2018–19 शीघ्र प्रकाशन बाबत्।

वास्ते प्रकाशन हेतु :–

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

निविदा संख्या 01 / 2018–19

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के क्षेत्राधीन अन्तर्गत जिला टोंक में संचालित विभिन्न विकास कार्यों के कार्य पर्यवेक्षण (Site Supervision) / प्रोजेक्ट मानिटरिंग कन्सलटेन्सी (P.M.C.) हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

जिसका विवरण बोली प्रपत्र एवं शर्ते विभागीय वेबसाइट http:/devasthan.rajasthan.gov.in एवं राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http:/sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। (विवरण कुल 21 पृष्ठ) **निविदा भरने की अंतिम तिथि 20–अगस्त–2018 2.00 PM तक**

कार्य का विस्तृत विवरण

1	2	3	4	5
कुल प्रमुख कार्य स्थल	आनुमानित विजिट संख्या	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य का निविदा शुल्क	कार्य की धरोहर राशि (Earnest Money)
1 Group (3 Work)	30	1.80 लाख	400 / –	संलग्न सूची अनुसार

प्रत्येक कार्य / कार्य समूह का उसकी लागत एवं अवधि सहित विवरण पृथक संलग्न है।

परिशिष्ट–बी

क्र. सं.	मंदिर का नाम	प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति दिनांक	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत विकास राशि (रुपये लाखों में)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	सुपरविजन हेतु निर्धारित अनुमानित माह	सुपरविजन हेतु अनुमानित कुल विजिट संख्या	अनुमानित लागत (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GROUP-E (AC Ajmer)							
1	डिग्गी कल्याण जी मंदिर, प्रन्यास, टोंक	14.12.16	RSRDC	500.00	31.12.18	4	12	72000
2	श्री राजकलेश्वर मंदिर अराजकीय, टोंक	06.10.17	RSRDC	371.14	31.10.18	2	6	36000
3	बालकानन्द आश्रम, हरभांवता तालाब, अराजकीय, टोंक	प्रस्तावित	देवस्थान विभाग	100.00	31.12.18	4	12	72000
	योग					**10**	**30**	**180000**

निविदा कार्यक्रम का विवरण– निर्धारित दिनांक एवं समय

1	2	3	4
निविदा जारी करने का दिनांक एवं समय	निविदा भरने का अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक एवं समय	वित्तीय बिड खोलने का दिनांक एवं समय
02.08.2018 06.00 P.M.	20.08.2018 02.00 P.M.	20.08.2018 05.00 P.M.	23-08-2018 03.00 PM

NIB NO. DEV1819A0069. UBN NO. DEV1819SSOB00120

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग, अजमेर

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

क्रमांक : लेखा/निविदा/2018–19/1450 **दिनांक : 1.8.2018**

निविदा/बोली आमत्रंण सूचना 01/2018–19

देवस्थान विभाग द्वारा उसके अन्तर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों के **कार्य पर्यवेक्षण** (Site Supervision)/ **प्रोजेक्ट मानिटरिंग कंसल्टेंसी** (Project Monitoring Consultancy- PMC) **हेतु** निविदा आमंत्रित की जाती है–

कार्य का विस्तृत विवरण				
1	2	3	4	5
कुल प्रमुख कार्य स्थल	अनुमानित विजिट संख्या	कार्य की अनुमानित लागत	कार्य का निविदा शुल्क	कार्य की धरोहर राशि (Earnest Money)
1 Group (3 Work)	30	1.80 लाख	400/–	संलग्न सूची अनुसार

प्रत्येक कार्य/कार्य समूह का उसकी लागत एवं अवधि सहित विवरण पृथक संलग्न है।

परिशिष्ट–बी

क्र. सं.	मंदिर का नाम	प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति दिनांक	कार्यकारी एजेन्सी	स्वीकृत विकास राशि (रुपये लाखों में)	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	सुपरविजन हेतु निर्धारित अनुमानित माह	सुपरविजन हेतु अनुमानित कुल विजिट संख्या	अनुमानित लागत (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GROUP-E (AC Ajmer)							
1	डिग्गी कल्याण जी मंदिर, प्रन्यास, टोंक	14.12.16	RSRDC	500.00	31.12.18	4	12	72000
2	श्री राजकलेश्वर मंदिर अराजकीय, टोंक	06.10.17	RSRDC	371.14	31.10.18	2	6	36000
3	बालकानन्द आश्रम, हरभांवता तालाब, अराजकीय, टोंक	प्रस्तावित	देवस्थान विभाग	100.00	31.12.18	4	12	72000
	योग					**10**	**30**	**180000**

निविदा कार्यक्रम का विवरण– निर्धारित दिनांक एवं समय

1	2	3	4
निविदा जारी करने का दिनांक एवं समय	निविदा भरने का अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी बिड खोलने का दिनांक एवं समय	वित्तीय बिड खोलने का दिनांक एवं समय
02.08.2018 06.00 P.M.	20.08.2018 02.00 P.M.	20.08.2018 05.00 P.M.	23-08-2018 03.00 PM

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

कार्य हेतु पंजीकृत निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक, जो कि केन्द्र/राजस्थान में विभिन्न वांछित अधिनियमों में पंजीकृत हो, निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर भाग ले सकते हैं।

निविदा बोली प्रपत्र एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट http://devasthan.rajasthan.gov.in एवं **राजस्थान लोक उपापन पोर्टल** http://sppp.raj.nic.in. पर भी देखी जा सकती हैं।

सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग
अजमेर

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

निर्माण कार्यों के सुपरविजन हेतु निविदा बोली का तकनीकी बिड प्रपत्र

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक :– ....
2. डाक का पता :– ....
3. फोन/मोबाईल नम्बर :– ....
4. ई–मेल :– ....
5. बैंक का नाम :– .... IFSC .... Acc. No. ....
6. बोली दस्तावेजों की लागत रू0 400/– का डीडी/बीसी सं .... दिनांक .... बैंक का नाम .... संलग्न है।
7. बिड सिक्योरिटी राशि का विवरण निम्नानुसार है (जिसके लिए निविदा बोली लगाई गई है), जो संलग्न है।

Name of Group	Amount	DD/BC No and Date	Name of Bank
GROUP-E (AC Ajmer)	3600/-		

8. विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीकरण संबंधी सूचना :–

निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए, जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	पंजीकरण संबंधित दस्तावेज	पंजीकरण से संबंधित संस्था	पंजीकरण नम्बर	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक संख्या	विशेष विवरण
1	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत अथवा इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956/2013 के तहत पंजीकरण					
2	पेन कार्ड की प्रति					
3	बैंक खाता पास बुक एवं निरस्त चैक की प्रति					
4	वस्तु एवं सेवाकर का पंजीयन प्रमाण पत्र					

विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/ पंजीकरण संबंधी अभिलेखों व अन्य प्रमाण–पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति निविदा बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी।

9. **अनुभव तथा टर्न ओवर संबंध सूचना :–** निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक फर्म को न्यूनतम 3 वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) तक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। बोली दाता संवेदक द्वारा गत 3 वर्षो (2015–16, 2016–17, 2017–18) में औसत टर्न–ओवर 25.00 लाख रुपये का होना चाहिये। इस संबंध में सूचना निम्नानुसार है–

क्र.सं.	कार्य	कार्य की लागत	कार्यादेश दिनांक	कार्य से संबंधित संस्था	संलग्नक संख्या	विशेष विवरण

आवश्यकतानुसार पृथक से प्रपत्र **संलग्न** करें। टर्न–ओवर की गणना हेतु मान्यता प्राप्त CA द्वारा जारी रिपोर्ट की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

10. मैं/हम सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ... द्वारा जारी निविदा बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक ..../2018–19 में वर्णित जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। इन सभी शर्तों से तथा संलग्न दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इस हेतु दस्तावेजों एवं सभी संलग्नकों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
11. मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं तथा वास्तव में बोली में चाहा गया कार्य/व्यवसाय किया जाता है एवं वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।
12. यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप मे समपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के हस्ताक्षर

नाम मय सील

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

निविदा–बोली की सामान्य शर्ते

General Terms & Conditions of Tender Bid :-

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की पात्रता की शर्ते –

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को न्यूनतम 3 वर्ष (2015–16, 2016–17, 2017–18) तक के कार्य का अनुभव होना चाहिए। साथ ही उसे अन्य वांछित विधिक/प्रशासनिक मान्यता/अनुज्ञप्ति/पंजीयन प्राप्त होना चाहिए। निविदादाता फर्म को कम्पनीज एक्ट अथवा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

2 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का गत 3 वर्षो (2015–16, 2016–17, 2017–18) में औसत सालाना टर्न–ओवर 25.00 लाख रूपये होना चाहिये। टर्न–ओवर की गणना हेतु मान्यता प्राप्त CA द्वारा जारी ऑडिटेड रिपोर्ट लगायी जानी होगी।

3 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक का राजस्थान में कार्यालय संचालित होना चाहिए। इसमें निविदादाता अपना कार्यालय पता अंकित करें।

4 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक फर्म द्वारा प्रति कार्य समूह हेतु न्यूनतम एक साईट इंजीनियर लगाया जाएगा, जिसे इंजनियरिंग में सिविल में डिप्लोमा/डिग्री धारक होना चाहिए। कार्यस्थल पर नियुक्त किये जाने वाले साईट इंजीनियर नाम एवं उसकी योग्यता की सूचना कार्यादेश के 10 दिवस में देवस्थान विभाग को दी जाएगी।

2. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के कार्य संबंधी शर्ते–

निविदादाता/बोलीदाता/ संवेदक को कार्य दिये जाने पर पी.एम.सी./साईट इंजीनियर हेतु कार्य निरीक्षण के लिए निम्न मानदण्ड होंगे–

1 कार्य के पूरे निर्धारित अवधि के दौरान उसे पाक्षिक रूप से प्रति पखवाडे उपस्थित होना आवश्यक होगा।

2 निम्न समयों में उसकी उपस्थिति विशेष आवश्यक होगी–

   1 कार्य प्रारम्भ करते समय, उसका डिमार्केशन/ले–आउट देते समय
   2 नींव भराई के समय
   3 कार्य के प्लिन्थ लेवल पर पहुंचने पर पुनः डिमार्केशन/ले–आउट देते समय
   4 शटरिंग के समय
   5 स्टील बंधाई/इलेक्ट्रिकल कन्ड्यूट/आरसीसी कॉस्टिंग के समय
   6 दीवार निर्माण एवं प्लास्टर के समय उसकी गुणवत्ता को समय–समय पर चेक किया जाएगा।
   7 धड (रूफिंग) में ढाल (स्लोप) का लेवल निर्धारण करते समय

नोट – यदि किसी पखवाडे में उक्त में से अनेक कार्य शुरू हो रहे हों तो उनके लिए एक साथ शेड्यूलिंग की जा सकती है। इस हेतु कार्यादेश के उपरान्त प्रथम

विजिट कर निविदादाता द्वारा 10 दिवस के भीतर एक मासिक विजिट शेड्यूल उपलब्ध कराना होगा। मासिक विजिट शेड्यूल को कार्य की आवश्यकतानुसार न्यूनतम एक सप्ताह की सूचना पर संशोधित किया जा सकेगा। इनमें यदि किसी पखवाडे में कार्य एक से अधिक समय पर शुरू हो रहे हैं, तो निविदादाता को पूर्व सूचना के आधार पर पखवाडे में एक अतिरिक्त विजिट का भुगतान अनुमत होगा। नियमानुसार इस सीमा तक विजिट के आदेश हेतु सहायक आयुक्त, देवस्थान अनुमत होंगे। इसमें किसी विशेष कारण से कोई आकस्मिक आवश्यकता होने पर आयुक्त, देवस्थान अपनी ओर से विजिट हेतु अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

3 पी.एम.सी./साईट इंजीनियर द्वारा मासिक रूप से **साईट सुपरविजन रिपोर्ट सह माप पुस्तिका के निम्न संलग्न प्रपत्र** में प्रगति/सूचना उपलब्ध कराई जाएगी– (इसमें आवश्यकतानुसार कतिपय बिंदुओं पर पाक्षिक सूचना भी ली जा सकती है।)

4 उक्त प्रपत्र में सूचना 3 रूप में दी जाएगी–

1 विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी **साईट सुपरविजन रिपोर्ट पुस्तिका** पर अंकन कर।

2 इसका संबंधित पृष्ठ भाग स्कैन कर उसे **ई–मेल/ऑनलाईन अपडेशन** करते हुए।

3 किसी त्रुटि या समस्या की स्थिति में संबंधित अधिकारी को **एसएमएस/फोन** कॉल से सूचना देते हुए।

4 साईट सुपरविजन रिपोर्ट के साथ दिनांक विशेष की स्वंय की साईट विजिट की फोटो आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

नोट – ऑनलाईन अपडेशन के लिए सामान्यतः प्रारूप **परिशिष्ट – अ** अनुसार होगा, जिसमें समयानुसार कोई संक्षिप्त संशोधन किए जा सकेंगे।

5 पी.एम.सी./साईट इंजीनियर के पास साईट विजिट के समय निम्न अभिलेख आवश्यक रूप से होने चाहिए–

1 **साईट सुपरविजन रिपोर्ट सह माप पुस्तिका**

2 कार्य का लेआउट प्लान,

3 डीपीआर की कॉपी (3–डी डिजाईन के साथ)

4 कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि/टाइमलाइन

5 संदर्भित लागू बीएसआर

6 मेजरमेंट टेप

7 लेजर डिस्टेंस मेजरमेंट मशीन (जहां आवश्यक हो।)

8 यदि किसी कार्य की लैब टेस्ट कराई गयी हो, तो उसकी रिपोर्ट

9 गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समस्त निर्धारित आवश्यक टूल/सामग्री के ठेकेदार के पास उपलब्ध होने की सुनिश्चितता

6 पी.एम.सी. / साईट इंजीनियर के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भी समुचित कार्यवाही की जाएगी– जैसे–

1 भवन सामग्री (ईंट, सीमेंन्ट, चूना, बजरी, सुर्खी, गिट्टी, सरिया, पाईप आदि की गुणवत्ता)

2 भवन सामग्री के समुचित मिश्रण एवं मेंटनेंस की गुणवत्ता

3 कार्य (फिनिशिंग, डिजाईनिंग, अलाईनमेंट आदि) की गुणवत्ता

7 यदि ठेकेदार द्वारा कार्य की डीपीआर या डिजाईनिंग की पालना नहीं की जा रही या कार्य के निर्धारित समयानुसार व उसकी आवश्यकतानुसार कार्य नहीं किया जाता अथवा उसमें समुचित संख्या में श्रमिक नहीं लगाये जाते, या प्रदत्त निर्देशों की समय पर पालना नहीं की जाती, तो वह इस संबंध में संबंधित राजकीय क्रियान्वयन एजेन्सी के साथ देवस्थान विभाग को भी सूचित किया जायेगा। इन सूचनाओं के लिए देवस्थान विभाग द्वारा ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है।

8 यदि कार्य की डीपीआर या डिजाईनिंग में कहीं आवश्यकता या औचित्य अनुसार परिवर्तन आवश्यक होगा या उससे कार्य बेहतर होगा तो उसमें साईट इंजीनियर के द्वारा समुचित सुझाव भी दिया जायेगा।

9 साईट इंजीनियर के द्वारा सीपीएम, पर्ट चार्ट आदि आधुनिक वर्क मैनेजमेन्ट टूल का प्रयोग किया जा सकता है।

3. संबंधित नियमों एवं विधिक प्रावधानों (जहां पर जो लागू होते हो) की पालना से संबंधित शर्तें–

1 **राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम– 2012 एवं नियम– 2013** तथा **सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम** एवं इस संबंध में **वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन, आदेश एवं निर्देश** आदि प्रभावी रहेंगें।

2 निविदादाता / बोलीदाता / संवेदक द्वारा **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम– 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम**, **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974** आदि के विधिक प्रावधानों की पालना की जाएगी तथा इसके वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित निविदादाता / बोलीदाता / संवेदक का होगा।

3 निविदादाता / बोलीदाता / संवेदक द्वारा नियुक्त श्रमिकों / कार्मिकों की सुरक्षा के लिए समुचित प्रावधान स्वयं के स्तर पर करने होंगे।

4 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने,

कार्यमुक्त करने, नोटिय वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

5 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देन ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक/ दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता को होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

6 पृथक से यात्रा भत्ता देय नही होगा–उसका समस्त भार संवेदक द्वारा वहन किया जाएगाः–

4. कार्य संबंधी अन्य शर्तें –

1 यहां उल्लेखनीय है कि जिला विशेष के कार्य समूह में प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने अथवा उनके सुपरविजन करने की अवधि भिन्न–भिन्न हो सकती है। परंतु जहां तक साईट सुपरविजन इंजीनियर लगाने की लागत का प्रश्न है, वह निविदादाता के लिए बनी ही रहेगी, केवल कार्य के सुपरविजन भार एवं आवागमन व रूकने के व्यय में अंतर आ सकता है, जिसका अलग से मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्हें उस जिले में निर्धारित विभिन्न कार्य स्थलों की संख्या और उनमें से अधिकतम समयावधि वाले के कार्य समूह का सुपरविजन करने की लागत को ध्यान में रखते हुए उस समूह के कार्यों के प्रति विजिट सुपरविजन की राशि कोट करनी होगी और उसमें न्यूनतम सामूहिक सुपरविजन विजिट राशि कोट करने वाले का चयन किया जायेगा।

2 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को अपनी बोली हर एक समूह (निर्धारित जिला विशेष के कार्य समूह) के लिए अलग देनी होगी। यह राशि निविदादाता/बोलीदाता/ संवेदक को समस्त कर व प्रभार सहित कोट करनी होगी। प्रत्येक कार्य समूह के लिए एक ही सुपरविजन विजिट राशि ही कोट की जाएगी, अर्थात् एक कार्य समूह के लिए अलग–अलग सुपरविजन विजिट राशि नहीं कोट की जाएगी।

3 सुपरविजन के लिए निविदा में दी अवधि में परस्पर सहमति से अधिकतम 3 माह अथवा कार्य की पूर्णता तिर्थि (उक्त में से जो पहले हो) की वृद्धि की जा सकती है। यदि देवस्थान विभाग द्वारा कार्य के सुपरविजन के लिए निविदा में दी अवधि से 3 माह की अवधि तक वृद्धि या कमी की जाती है, तो निविदादाता/बोलीदाता/ संवेदक को उसकी माह के लिए देय विजिट राशि की गणना कर भुगतान किया या काटा जा सकता है। कार्य अवधि में कमी होने पर निविदादाता/बोलीदाता/ संवेदक को न्यूनतम 1 माह पूर्व सूचित कर दिया जाएगा।

4 यदि निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी कारणवश साईट इंजीनियर को परिवर्तित किया जाता है, तो इसकी पूर्व सूचना देवस्थान विभाग को देते हुए उसका अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश साईट इंजीनियर को

अवकाश पर जाना होता है तो इसकी पूर्व सूचना देवस्थान विभाग को देते हुए निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को वैकल्पिक साईट इंजीनियर की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी।

5 निरीक्षण (PMC) हेतु इस कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा आदेश जारी किये जायेगे, तदनुसार ही निरीक्षण किया जायेगा, बिना आदेश के किया गया निरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा अर्थात ऐसे निरीक्षण हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

6 उपरोक्त विजिट की संख्या में कमी/बढोतरी की जा सकती है एवं राज्य सरकार द्वारा नवीन कार्य भी स्वीकृत किये जा सकते है, उन कार्यों के लिए उस जिले से संबंधित ग्रुप की दरें देय होगी।

7 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक अपने संविदा अनुबंध को या उसके सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगे या उपांतरित (Sub-let) नहीं करेंगे।

5. प्रक्रिया संबंधी प्रावधान–

1 निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा **तकनीकी बोली** तथा **वित्तीय बोली** से संबंधित दस्तावेज दो अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर जमा कराये जायेंगे–

1 **लिफाफा संख्या– 1 –** इसमें तकनीकी बोली से संबंधित दस्तावेज रखे जायेंगे इस पर स्पष्ट रूप से इसका अंकन किया जायेगा। इसमें मुख्यतः निम्न अभिलेख होंगे– निविदा आवेदन पत्र, निविदादाता की पात्रता की शर्तो के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र व अभिलेख, निविदा शुल्क जमा कराने की रसीद या प्रति, धरोहर राशि जमा कराने का साक्ष्य/बैंक डी.डी., निविदा में निर्धारित अन्य दस्तावेज।

2 **लिफाफा संख्या– 2 –** इसमें वित्तीय बोली/निविदा निर्धारित प्रपत्र में अक्षरों एवं शब्दों में भरकर पृथक से सील बन्द लिफाफे में रखा जायेगा।

3 **लिफाफा संख्या– 3 –** इस लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफों को रख कर सील बन्द किया जायेगा।

2 तकनीकी बोली में क्वालिफाईड/सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली/प्राईस बिड खोली जायेगी। जिसकी सूचना पृथक से तकनीकी बोली में क्वालिफाईड निविदादाता को दी जायेगी।

3 निविदा की विधिमान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

4 **मूल्यांकन की कसौटी :–** तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की वित्तीय बिड खोली जायेगी। वित्तीय बिड में न्यूनतम विजिट दर (प्रत्येक ग्रुप के लिए पृथक–पृथक) के आधार पर वित्तीय बोली/बिड का मूल्यांकन किया जाएगा।

5 **निविदा बोली प्रतिभूति राशि** (Tender Bid Security) **जमा कराने की प्रक्रिया :–** निविदा बोली प्रतिभूति राशि **''सहायक आयुक्त, देवस्थान, अजमेर''** के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जाएगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के अनुबन्ध निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही निविदा बोली प्रतिभूति निविदादाता/बोलीदाता/संवेदकों को लौटा दी जावेगी।

6 **निविदा बोली प्रतिभूति का समपहरण** (Forfeiture of Tender Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा–

1 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक निविदा बोली खुलने, किन्तु निविदा बोली स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन (डवकपपिबंजपवद) करता है।

2 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर संविदा/अनुबन्ध निष्पादित नहीं करता है।

3 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

4 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ नही करता है।

5 यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

1. **संविदा/अनुबन्ध एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति** (Agreement and Performance Security)

1 निविदा बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को बोली स्वीकृति आदेश पत्र के दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा में प्रदाय आदेश/कार्यादेश (Work Order) की रकम की 5 प्रतिशत राशि **कार्य सम्पादन प्रतिभूति** (Performance Security) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सहायक **आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर** के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश/कार्यादेश (Work Order) की रकम के 0.25 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपये) के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप– 17 में एक **अनुबन्ध पत्र** निष्पादन करना होगा।

2 सफल निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक की दशा में **बोली प्रतिभूति** की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

3 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

2. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण** (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :— निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (Work Performance Security Deposit) का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।

   1 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा/अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

   2 जब निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक सेवा की आपूर्ति निर्धारित समय अवधि में अथवा सन्तोषजनक रूप में करने में असफल रहा हो।

   नोटः— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामले में निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

3. **भुगतान** (Payment):—

1. निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा। जिस पर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जायेगी। इस हेतु निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक को प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 3 कार्य दिवस में प्रस्तुत कर देना होगा। बिल सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में 3 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। उचित प्रारूप में अथवा उचित समय पर बिल प्रस्तुत न करने पर होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. अनुमोदित दरों में समस्त कर एवं प्रभार भी शामिल है। बिलों में जीएसटी की राशि पृथक से दर्शानी होगी एवं नियमानुसार जीएसटी की राशि संबंधित मद में जमा कराने का दायित्व सफल बोली दाता का होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा स्रोत पर जीएसटी कटौती का प्रावधान लागू किया जाता है तो नियमानुसार स्रोत पर जीएसटी की कटौती की जायेगी।

4. **परिनिर्धारित क्षति** (Liquidated Damages)- कार्य में परिनिर्धारित क्षति निम्नानुसार होगी—

   1 कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय द्वारा आदेशित (न्यूनतम 4 दिवस पूर्व) दिनांक में निरीक्षण हेतु उपस्थित नहीं होने की दशा में प्रति कार्य दिवस के लिए देय राशि की दो गुनी राशि कटौती कर ली जायेगी।

   2 निर्धारित समय पर निविदा में विहित प्रपत्र/निरीक्षण सूचना नहीं भेजने पर प्रति दिवस बिलम्ब के लिए 500/— शास्ति आरोपित की जायेगी, उक्त राशि संवेदक को भुगतान की जाने वाली आगामी राशि से काटी जायेगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

नोटः–

यदि निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक किन्ही बाधाओं के कारण सेवा की आपूर्ति के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने सेवा प्रदायगी का आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा, न कि सेवा आपूर्ति होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि देवस्थान विभाग के अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि सेवा की आपूर्ति करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता/बोलीदाता/संवेदक के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो उसके द्वारा इसमें समुचित विचार कर परिनिर्धारित क्षति में कटौती की जा सकेगी अथवा सेवा की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी। सूचना यथानिर्धारित ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर निविदादाता द्वारा उस पर भी अंकित की जानी होगी।

5. **स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निर्वचन** :– निविदा/बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो, तो उसमें आयुक्त देवस्थान अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/निर्वचन किया जा सकेगा।

(गौरव सोनी)
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
अजमेर

Annexure-'A'

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

a) Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
g) Disclose conflict of interest, if any, and
h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder with Seal

Date:

Name:

Designation:

Address:

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

Annexure-'B'

DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS
DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Assistant Commissioner Devsthan **Ajmer** for procurement of **M/s …………………………………………..** In response to their notice inviting Bids No.………………….Dated …………….I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the procuring entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;

3. I/we are not insolvent, in receivership bankrupt or being would up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding document, which materially affects fair competition.

Signature of Bidder with Seal

Date:
Name:
Place:
Designation:
Address:

Annexure-'C'

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is
……………………………………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
The designation and address of the Second Appellate Authority
is……………….…………………..……… …
………………………………………………………………………………………
………………………………………………

1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality

5. Form of Appeal:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.
(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, will,-
(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.
(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement Portal.

Date:
Place

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……………………….of…………………
Before the ……………………………………………………………(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of Appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s)

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(supported by an affidavit)

7. Prayer :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…
Place………………….
Date…………………..

Appellant's

Signature

Annexure-'D'

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;

(ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and

(iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.

(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

3. DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of Bidder with Seal
Name:
Designation:
Address:

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर

वित्तीय बिड

वित्तीय बोली/प्राईस बिड निम्नानुसार प्रपत्र में भरकर पृथक से लिफाफे में बन्द कर निविदा के साथ प्रस्तुत करें। लिफाफे पर बडे अक्षरों में वित्तीय बोली/प्राईस बिड आवश्यक रूप से लिखें **:—**

क्र.सं.	**निर्माण कार्यों के सुपरविजन हेतु कार्यों का नाम जिसके लिए दरे दी जा रही है।**	निविदादाता द्वारा **कार्य पर्यवेक्षण** (Site Supervision)**/ प्रोजेक्ट मानिटरिंग कंसल्टेंसी** (Project Monitoring Consultancy- PMC) **हेतु** भरी जाने वाली राशि प्रति विजिट दर (समस्त कर एवं प्रभार सहित)	
		राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1	**2**	**3**	**4**
1	परिशिष्ट—बी के Group-E में वर्णित कार्यों हेतु		

नोटः—

1. उपरोक्त विजिट की संख्या में कमी/बढोतरी की जा सकती है एवं राज्य सरकार द्वारा नवीन कार्य भी स्वीकृत किये जा सकते हैं, उन कार्यों के लिए उस जिले से संबंधित ग्रुप की दरें देय होगी।

2. संवेदक एक ग्रुप अथवा एक से अधिक ग्रुप के लिए दरें दे सकता है।

हस्ताक्षर निविदादाता